(51)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर खण्ड, जयपुर

प्रमाण–पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक देवस्थान आयुक्त, जयपुर खण्ड, जयपुर के कार्यालय में आज के दिन यथावत रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ।

1. सार्वजनिक प्रन्यास का नाम के.बी.एस. एज्युकेशन ट्रस्ट जयपुर
2. सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या 39 जयपुर 2006 17-10-06
3. प्रमाण-पत्र कार्यालय प्रन्यासी को जारी किया गया ।

मेरे हस्ताक्षरों से आज दिनांक 17 मास 10 सन् 2006 को दिया गया ।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जयपुर खण्ड, जयपुर

प्रमाणित–प्रतिलिपी
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग
जयपुर

(36)

प्रपत्र संख्या - 4
(देखिये नियम 16 तथा 22 (ख)

परिवर्तनों का रजिस्टर

क्र.सं.	लोक न्यास का रजिस्टर्ड नम्बर तथा नाम	न्यासी के प्रतिवेदन की तारीख (यदि परिवर्तन प्रतिवेदन के अलावा अन्य आधार पर किये गये हो तो 'कुछ नहीं' लिखिये)	लोक न्यास रजिस्टर में वांछित परिवर्तनों का रूप	आज्ञा का सारांश, उसकी तारीख तथा सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
153	के. बी. एस. एजुकेशनल ट्रस्ट, जयपुर 39/2006 17/10/06	5/11/11 उक्त इन्द्राज पत्रावली संख्या 03/12 मे पारित आदेश दिनांक 6/8/12 की पालना मे किया गया। सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर	न्यासी परिवर्तन	न्यास के दो न्यासी श्री अशोक सिंह एवं श्री पांचूराम द्वारा न्यासी पद से त्याग पत्र दिये जाने एवं उनके त्यागपत्र न्यास की बैठक दिनांक 5.11.11 मे स्वीकार किये जाने तथा उक्त न्यासियों के स्थान पर श्री अभिषेक सिंह व अभिनव सिंह को नया न्यासी मनोनीत किये जाने से हुये परिवर्तन को आदेश दिनांक 6/8/12 से स्वीकार कर दर्ज अभिलेख किया गया। वर्तमान मे इस न्यास के निम्न न्यासी है :- 1. श्री अजय सिंह 2. श्रीमती स्नेह लता 3. श्री अभिषेक सिंह 4. श्री अभिनव सिंह	 चेयरमैन प्रन्यासी " "

कार्यालय सहायक आयुक्त, (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रकरण संख्या: 03/2012 निर्णय दिनाक 06.08.12

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित। प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री भीमसिंह, चेयरमैन के0बी0एस0 एजूकेशन ट्रस्ट, जयपुर ने प्रार्थना पत्र प्रपत्र–8 अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत दिनाक 5.11.2011 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यास के पूर्व प्रन्यासी श्री अशोक सिरोही एवं श्री पांचूराम द्वारा प्रन्यासी पद से त्यागपत्र दिये जाने व त्याग पत्र स्वीकार कर उनके स्थान पर श्री अभिनव सिंह एवं अभिषेक सिंह को नया न्यासी नियुक्त किया गया है। अतः उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रन्यास रजिस्टर की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन दर्ज किये जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में श्री अशोक सिरोही (अधिकार पत्र धारक) ने अपनी साक्ष्य दर्ज कराई। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी की ओर से श्री अशोक सिरोही के अधिकार पत्र की प्रति प्रदर्श–1, प्रपत्र–8 में सूचना प्रदर्श–2, पूर्व न्यासी श्री अशोक सिरोही एवं पांचूराम के त्याग पत्रो की प्रति प्रदर्श–3 व 4, उक्त न्यासियों त्याग पत्र स्वीकृति हेतु पारित प्रस्तावों की प्रतियां प्रदर्श–5 व 6, नये न्यासियों की नियुक्ति हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति प्रदर्श–7 व 8, नवनियुक्त न्यासी श्री अभिषेक सिंह व श्री अभिनव सिंह के सहमति पत्र की प्रतियां प्रदर्श–9 व 10 प्रस्तुत किये गये।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रन्यास द्वारा किये गये परिवर्तन न्यास विधान में दिये गये प्रावधान अनुसार है जो न्यासहित में है। अतः प्रन्यास अधिनियम की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुवे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (प्रपत्र–8) दिनांक 05.11.2011 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रपत्र–4 में इन्द्राज किया जावे। इस प्रन्यास के वर्तमान में निम्न न्यासी है:–

1.	श्री भीम सिंह	चेयरमैन
2	श्रीमती स्नेहलता	प्रन्यासी
3	श्री अभिशेक सिंह	प्रन्यासी
4	श्री अभिनव सिंह	प्रन्यासी

पत्रावली बाद मुकम्मिल तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 6.08.2012 को खुले रूपमें सुनाया गया।

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर